

पत्रांक: /आयु0क0उत्तरा0 / फार्म-अनु0 / 2014-15 / केन्द्रीय फार्म-सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून
कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म-अनुभाग)
देहरादून ::दिनांक:: 17 मई, 2014

विज्ञप्ति

केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली-2006 के नियम-8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी/एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ।

क्र0 स0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/कमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री कनिका एण्टर प्राइजेज, 71 आढत बाजार, देहरादून। टिन नं0-05000548306	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1360364, 1360365	खोने के कारण
2.	सर्वश्री दिल्लीन स्टोन क्रेशर प्रा0लि0, काशीपुर। टिन नं0-05006549950	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 0888576	खोने के कारण
3.	सर्वश्री गंगा मेटको, ई-58, इण्ड0 एरिया, हरिद्वार। टिन नं0-05006956477	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2009 0170459 to 0170460	खोने के कारण
4.	सर्वश्री जय मातेश्वरी स्टील प्रा0लि0, जशोधरपुर, कोटद्वार। टिन नं0-05002825247	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1115509, 1115600	खोने के कारण
5.	सर्वश्री स्टरलाईट टेक्नोलॉजी लि0, प्लॉट-2डी, सै0-10, सिडकुल हरिद्वार। टिन नं0-05006846770	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 1256360	खोने के कारण
6.	सर्वश्री हर्बल कॉन्सेप्ट हेल्थ केयर, प्रा0लि0, सिडकुल, हरिद्वार। टिन नं0-05001809851	(Form-F)--09	U.K.VAT-F-2007 061959 to 061967	खोने के कारण
7.	सर्वश्री देशाना पॉलीप्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 340, लाकेश्वरी, नियर अंबुजा फ़ैक्ट्री, भगवानपुर, रूड़की। टिन नं0-05006616007	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 1262533	खोने के कारण

(दिलीप जावलकर)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0संख्या 100 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त आयुक्त कर/बिक्री कर/वाणिज्य कर/आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को।
2. उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढवाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधिक्षेत्र के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करें।
6. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)-3, वाणिज्य कर, देहरादून/web. information officer को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(आई0एस0 बृजवाल)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पत्रांक:

/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म-अनु0/2014-15/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म-अनुभाग)

देहरादून ::दिनांक:: 17 मई, 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म-16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :-

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/ नष्ट हुए फार्मों/ स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री ओम इस्पात कैम्पस, लक्ष्मी सुगर मिल, इकबालपुर रुड़की। टिन-05005683837	प्ररूप-XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 1066232	खोने के कारण
2.	सर्वश्री पार्थ इण्डस्ट्रीज, सलेमपुर राजपुतान, रुड़की। टिन-05008762423	प्ररूप-XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 1254801	खोने के कारण
3.	सर्वश्री एम0एस0 वर्ल्ड, काशीपुर। टिन-05002548312	प्ररूप-XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 0239203	खोने के कारण
4.	सर्वश्री हिमालय ड्रग कम्पनी, सहारनपुर रोड़, देहरादून। टिन- 05005517288	प्ररूप-XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> 2084975	खोने के कारण

(पीयूष कुमार)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0संख्या 653 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाँऊजोन रुद्रपुर।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमाँऊजोन रुद्रपुर।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियाँ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- डिप्टी कमिश्नर(वि.अनु.शा.) वाणि0कर, इकाई ए, बी-देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी एवं काशीपुर, रुद्रपुर।
- 6- डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
- 7- असिस्टेन्ट कमिश्नर सचलदल इकाई ए, बी-विकासनगर/देहरादून, ऋषिकेश, इकाई ए, बी-हरिद्वार, लक्सर, रुड़की(नारसन), भगवानपुर, कौड़िया, अमरपुर, जसपुर, इकाई ए, बी-काशीपुर, बाजपुर, इकाई ए, बी-रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, टनकपुर, रामनगर, इकाई ए, बी- हल्द्वानी।
- 8- श्री रोशनलाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)-3 वाणिज्य कर, देहरादून/web.Information officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।